प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 384 वर्ष 2009

याचिकाकर्ता — महजबीन

बनाम

उत्तरदातागण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

साथ ही

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 385, 418, 417 एवं 419 वर्ष 2009

दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 के दिन निर्णय एवं आदेश हेतु सूचीबद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(सतीश के. अग्निहोत्री)
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 384 वर्ष 2009

याचिकाकर्ता — महजबीन

बनाम

उत्तरदातागण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

साथ ही

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 385, 418, 417 एवं 419 वर्ष 2009

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ

(माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति)

सुश्री मीना शास्त्री, अधिवक्ता – याचिकाकर्ताओं की ओर से।
सुश्री सुनीता जैन, पैनल अधिवक्ता – उत्तरदाता क्रमांक 1/राज्य की ओर से।
श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मीरा जायसवाल एवं श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता – उत्तरदाता क्रमांक 2 की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय एवं आदेश

(दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 को पारित)

1. उपर्युक्त पाँचों रिट याचिकाएँ समान तथ्य एवं विधिक प्रश्नों से संबंधित हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि उर्दू शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के वे पद, जिन्हें दिनांक 11.10.2007 को विज्ञापित किया गया था, क्या उन्हें बाद के विज्ञापन दिनांक 23.08.2008 में अन्य श्रेणियों में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 384, 385, 418, 417 एवं 419 वर्ष 2009 का निपटारा इस साझा आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उत्तरदाता/निगम ने पूर्व में दिनांक 11.10.2007 को विज्ञापन (अनुलग्नक पी/1, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 384/2009) जारी किया था, जिसमें विभिन्न पदों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन पदों में आठ पद उर्दू शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से किया गया था –

(i) दो पद – अनारक्षित (भूतपूर्व सैनिक हेतु)
(ii) एक पद – अनारक्षित (शारीरिक रूप से विकलांग हेतु)
(iii) दो पद – अनुसूचित जाति हेतु

(iv) तीन पद – अनुसूचित जनजाति हेतु

उपर्युक्त विज्ञापन दिनांक 11.10.2007 के अनुपालन में, याचिकाकर्ताओं ने आवश्यक योग्यताएँ पूर्ण करने के उपरांत उर्दू शिक्षा कर्मी ग्रेड-III (उर्दू विषय) के पदों पर नियुक्ति हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किए।

3. याचिकाकर्ता महजबीन रिट याचिका क्रमांक 384/2009) ने सामान्य श्रेणी में (अनुलग्नक पी/5) आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता नूरजहाँ रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 385/2009), जो कि 40% शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ने विकलांगजन हेतु सामान्य श्रेणी में (अनुलग्नक पी/7) आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता जुलेखा बेगम रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 418/2009) ने सामान्य श्रेणी में (अनुलग्नक पी/8) आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता नज़राना तबस्सुम रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 417/2009) ने सामान्य श्रेणी में (अनुलग्नक पी/4) आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता नसीम बेगम कुरैशी रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 419/2009) ने भी सामान्य श्रेणी में (अनुलग्नक पी/4) आवेदन प्रस्तुत किया।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति-पत्र अथवा साक्षात्कार हेतु नियुक्ति पत्र आदि की प्रतीक्षा में रखा गया, किन्तु तत्पश्चात दिनांक 23.08.2008 को एक नया विज्ञापन (अनुलग्नक पी/6, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 384/2009) जारी किया गया, जिसमें उर्दू शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के आठ पदों की भर्ती हेतु पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इसका विवरण निम्न प्रकार था –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) तीन पद – मुक्त (अनारक्षित)
(ii) दो पद – महिला (अनारक्षित)
(iii) एक पद – मुक्त (अन्य पिछड़ा वर्ग)
(iv) एक पद – महिला (अन्य पिछड़ा वर्ग)
(v) एक पद – शारीरिक रूप से विकलांग (अन्य पिछड़ा वर्ग)

5. आगे यह निवेदन किया गया कि जब याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 11.10.2007 के पूर्ववर्ती विज्ञापन के अनुसार प्रस्तुत किए गए अपने आवेदनों की स्थिति की जानकारी माँगी, तो उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा यह सूचित किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग (General Category) में आवेदन किया था तथा विज्ञापित पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नहीं थे। चूँकि कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुआ, अतः किसी की नियुक्ति नहीं की गई। इसके उपरांत याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवेदन भी किए, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। फलस्वरूप, याचिकाकर्ताओं ने उपर्युक्त रिट याचिकाएँ दायर की हैं।

6. सुश्री मीना शास्त्री, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता, ने यह निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 (संक्षेप में 'नियम, 1998') के प्रावधानों के अनुसार यदि भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो वह पद संबंधित स्तंभ के उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आदेश दिनांक 02.09.1998 (अनुलग्नक पी/8, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक

384/2009) से यह स्पष्ट है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि उर्दू शिक्षाकर्मियों के लिए पृथक रूप से आरक्षित पदों की गणना न की जाए, बल्कि उर्दू शिक्षाकर्मियों के पदों को शिक्षाकर्मियों के अन्य पदों के साथ सम्मिलित किया जाए ताकि समग्र रूप से आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या में कोई कमी न आए। अतः, प्रतिवादियों की कार्यवाही मनमानी, अवैध तथा प्रावधानों के विपरीत है।

7. उत्तरदाता क्रमांक 2 कॉरपोरेशन की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील ने बताया कि दिनांक 11.10.2007 की पूर्व विज्ञप्ति पर 23.08.2008 तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि उर्दू शिक्षाकर्मी ग्रेड-III के आठ पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नहीं थे। इसलिए, उस समय कोई नियुक्ति नहीं की गई। इसके बाद, उन आठ पदों के लिए एक नई विज्ञप्ति जारी की गई और वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। अतः दायर याचिकाएँ अपरिपक्व हैं और अस्वीकृत की जानी चाहिए। वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि 2005 में, 19 पदों के लिए उर्दू शिक्षाकर्मी ग्रेड-III की भर्ती दिनांक 16.05.2005 की विज्ञप्ति (अनुलग्नक R-2/1) के माध्यम से की गई थी। आरक्षण विवरण को दिनांक 17.05.2005 के सुधार आदेश (अनुलग्नक R-2/1) द्वारा स्पष्ट किया गया, जैसे कि:

(i) दो पद – अनुसूचित जाति
(ii) तीन पद – अनुसूचित जनजाति
(iii) तीन पद – अन्य पिछड़ा वर्ग
(iv) ग्यारह पद – सामान्य श्रेणी (जिसमें 1 महिला, 2 भूतपूर्व सैनिक और 1 विकलांग व्यक्ति शामिल हैं)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दिनांक 17.05.2005 की विज्ञप्ति के अनुसार, दिनांक 03.10.2007 के आदेश के माध्यम से 14 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, और इसके बाद दिनांक 15.11.2007 के आदेश द्वारा 2 अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि 1998 के नियमों के नियम 5 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

9. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बात सुनी और संबंधित तर्कों एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया।

10. नियम 1998 की नियमावली का नियम 5 चयन और भर्ती की विधियों के लिए प्रावधान करता है। नियम 5 की उप-धारा (4) और (5) इस मामले में प्रासंगिक हैं, जो नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-

"(4) शिक्षा कर्मियों की प्रत्यक्ष भर्ती के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संख्या 21/1994) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित होंगे ।

(5) राज्य सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार, पद महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, पूर्व सैनिकों और ऐसे अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे।

(परन्तु यदि शिक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन की प्रति, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का विवरण दिया गया हो, जिला रोजगार कार्यालय, जिला पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड और पुनर्वास के महानिदेशक को भेजने के बाद, पूर्व सैनिक उन आरक्षित पदों के लिए उपलब्ध न हों और पद खाली रह जाएँ, तो खाली पद संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों में से भरे जाएंगे।)"

11. दिनांक 11.10.2007 के विज्ञापन से स्पष्ट है कि उर्दू शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के 8 पद विज्ञापित किए गए थे, जिनमें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 2 पद पूर्व सैनिकों के लिए और 1 पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए थे। आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत 2 पद अनुसूचित जाति और 3 पद अनुसूचित जनजाति के लिए थे। अतः विज्ञापन के अनुसार, केवल याचिकाकर्ता (नूरजहां) रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 385/2009 में, जो 40% शारीरिक रूप से विकलांग हैं और सामान्य श्रेणी में विकलांग व्यक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, उन्हें ही शिकायत हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 23.08.2008 के बाद के विज्ञापन से कुल 8 उर्दू शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद विज्ञापित किए गए, जिनमें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 3 पद मुक्त हैं और 2 पद महिला उम्मीदवार के लिए हैं। आरक्षित श्रेणी यानी ओ.बी.सी. के अंतर्गत 1 पद मुक्त, 1 पद महिला उम्मीदवार के लिए और 1 पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए है।

13. अतः यह स्पष्ट है कि बाद के विज्ञापन में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत पूर्व सैनिकों (2 पद) और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (1 पद) के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति (2 पद) और अनुसूचित जनजाति (3 पद) के लिए कोई स्थान नहीं है।

14. वर्तमान याचिकाओं में यह प्रश्न उठाया गया है कि दिनांक 11.10.2007 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी/1) में विज्ञापित 5 आरक्षित पदों का क्या हुआ, जो दिनांक 23.08.2008 की बाद की अधिसूचना (अनुलग्नक पी/6) में नहीं दिखाए गए, क्योंकि पूर्व विज्ञापन निरस्त कर दिया गया था, यह तथ्य स्पष्ट है कि नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि दिनांक 25.08.2008 की मेमो से स्पष्ट है (अनुलग्नक पी/7)।

15. उत्तरदाता ने अपनी उत्तरदाता प्रतिक्रिया दिनांक 28.03.2009 में मुख्य प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया, केवल यह कहा कि दिनांक 25.08.2008 की मेमो के अनुसार चयन प्रक्रिया विचाराधीन है।

16. याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के संज्ञान में यह लाया कि दिनांक 02.09.1998 की परिपत्र (अनुलग्नक पी/8) में शिक्षा कर्मियों के कैडर में समग्र आरक्षण का प्रावधान है, उर्दू शिक्षा कर्मियों के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं है।

17. दिनांक 17.05.2005 और 19.05.2005 के पूर्व विज्ञापनों के अनुसार किए गए नियुक्तियों का वर्तमान विवाद में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दिनांक 23.08.2008 की बाद की अधिसूचना (अनुलग्नक पी/6) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। दिनांक 02.09.1998 की पूर्व परिपत्र के प्रकाश में यह नहीं कहा जा सकता कि उर्दू शिक्षा कर्मियों के मामले में आरक्षण विशेष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। यदि शिक्षा कर्मियों के कैडर में पर्याप्त आरक्षण प्रदान किया गया है, जैसा कि दिनांक 23.08.2008 की बाद की अधिसूचना में उल्लेख है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उर्दू श्रेणी में आरक्षण न देना विधिविरुद्ध और असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं ने यह चुनौती नहीं दी और न ही दावा किया कि दिनांक 23.08.2008 के विज्ञापन में अनुबंधित शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था।

18. ऐसी स्थिति में, सभी पहलुओं से विचार करने पर, यह न्यायालय यह मानने के लिए प्रवृत्त नहीं है कि दिनांक 23.08.2008 का विज्ञापन मनमाना और असंवैधानिक है। चूंकि दिनांक 11.10.2007 के विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया को योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण निरस्त कर दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को उर्दू शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्त करने का निर्देश देने वाला कोई रिट आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

19. परिणामस्वरूप और उपरोक्त कारणों से, याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अनुवादक - प्रशांत पारख

Desclaimer – यह कि कंडिका 1 से 19 तक का अनुवाद **दी गई जानकारी केवल इंग्लिश भाषा से हिन्दी भाषा में अनुवाद सामान्य जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।**

अनुवादक . प्रशांत पारख
अधिवक्ता
जिला न्यायालय जिला बालोद (छ.ग.)